राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–50 / 2023
रामजी प्रसाद बनाम् लक्ष्मी देवी।

यह वाद आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रारंभ किया गया, जिसका आधार श्री रामजी प्रसाद, ग्राम–नारायण विगहा, नगर पंचायत घोषी, जिला–जहानाबाद के परिवाद–पत्र में लगाये गये आरोपों के प्रथम दृष्ट्या सही पाया जाना है।

श्री प्रसाद द्वारा श्रीमती लक्ष्मी देवी, पति–श्री अनुप कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–18, नगर पंचायत घोषी पर यह आरोप लगाया था कि उन्हें दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान है, किन्तु श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा गलत शपथ–पत्र दिया गया। उनके द्वारा संतानों की संख्या, तो 04 दर्शायी गयी, परन्तु दिनांक–04.04.2008 के उपरांत संतानों की संख्या– शून्य दर्शायी गयी है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके दो संतान श्री रवि रंजन कुमार (जन्मतिथि–15.02.2012) एवं श्री प्रियरंजन कुमार(जन्मतिथि–04.03.2014) की जन्मतिथि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत की है।

उक्त परिवाद की जाँच कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदन पत्रांक–1867 / जि0पं0, दिनांक–19.07.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

"अंततः जाँच से यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी द्वारा उठाये गये आरोप, श्रीमती लक्ष्मी देवी, पति–श्री अनुप कुमार के कुल चार बच्चे में से एक से अधिक संतानों का जन्म दिनांक–04.04.2008 के बाद हुआ है, के आलोक में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नारायण बिगहा(नगर पंचायत), घोषी एवं चिन्हित मध्य विद्यालय घोषी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकन से आरोप सही प्रतीत होता है। वर्णित विद्यालयों के प्रवेश–पुस्तिका के अवलोकन से आरोप सिद्ध होता है कि श्रीमति लक्ष्मी देवी द्वारा अपने शपथ–पत्र में अभ्यर्थी बायोडाटा(प्रपत्र–ग) में दी गई सूचना सही नहीं है, जो कि तथ्य को छुपाकर चुनाव लड़ने का मामला बनता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नामांकन एवं योग्यता तथा अन्य नियमावली का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है।"

इसी प्रतिवेदन के अनुसार प्रभावित पक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा अपने बचाव में दिये गये, बच्चों के जन्म प्रमाण–पत्र को जिला प्रशासन द्वारा फर्जी पाया गया। इस संबंध में प्रतिवेदन का प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

"इस कार्यालय के पत्रांक–1365 / जि0पं0, दिनांक–18.03.2023 के द्वारा उपरोक्त तीनों निर्गत जन्म प्रमाण–पत्रों की जाँच असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल से करायी गयी, ने पत्रांक–802, दिनांक–27.06.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि

क्रमशः रविरंजन कुमार, कल्पना कुमारी एवं अर्चना कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र जन्म–मृत्यु रजिस्टार, सदर अस्पताल, अरवल द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।"

उक्त साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत वाद प्रारंभ किया गया तथा नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत प्रभावित पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

2. सुनवाई के क्रम में परिवादी श्री रामजी प्रसाद, ग्राम–नारायण विगहा, नगर पंचायत घोषी, जिला–जहानाबाद द्वारा श्रीमती लक्ष्मी देवी, पति श्री अनुप कुमार, वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–18, नगर पंचायत घोषी, जिला–जहानाबाद के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत प्रारंभ कार्रवाई में अपना पक्ष स्वयं रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती लक्ष्मी देवी का पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। जिला प्रशासन का पक्ष रखने तथा सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद श्री गुलाब हुसैन, श्री धनंजय त्रिपाठी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहनाबाद तथा सुश्री होमा इरफान, वरीय उप समाहर्त्ता, जहानाबाद को प्राधिकृत किया गया।

3. परिवादी श्री रामजी प्रसाद द्वारा आयोग को बताया गया कि श्रीमती लक्ष्मी देवी को कुल 04 संतान है, जिसमें दो पुत्र दो पुत्रियाँ शामिल है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके एक पुत्र की जन्मतिथि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत की है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्राथमिक जाँच के दौरान उनके द्वारा श्री रवि रंजन कुमार एवं कल्पना कुमारी के जन्मतिथि का प्रमाण जाँच पदाधिकारी को दिया गया था, जो कि प्रथम जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न होकर आया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नारायण विगहा, घोषी के प्रवेश–पुस्तिका वर्ष–2017–18 में श्रीमती लक्ष्मी देवी के दो संतानों की जन्मतिथि अंकित है। उक्त प्रवेश–पत्र में कल्पना कुमारी की जन्मतिथि–10.01.2008 तथा रवि रंजन कुमार की जन्मतिथि–15.02.2012 अंकित है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि दोनों बच्चों का नामांकन तिथि 03.05.2017 है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि एक अन्य पुत्र श्री प्रियरंजन कुमार की जन्मतिथि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नारायण विगहा, घोषी में दिनांक–04.03.2014 अंकित है, जबकि इनकी एक अन्य पुत्री सुश्री अर्चना कुमारी की जन्मतिथि मध्य विद्यालय घोषी में दिनांक–15.03.2007 अंकित है। इस प्रकार इनके दो संतानों की जन्मतिथि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इसके अतिरिक्त उनके द्वारा राश्न कार्ड संख्या–10235014802530150000097 8 की छायाप्रति भी दी गई थी। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा स्वयं संतानों की संख्या–04 बताई गई है तथा कभी उनके द्वारा संतानों की संख्या को लेकर कोई आपत्ति नहीं की गई है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में जो जन्म प्रमाण–पत्र दिये गये थे, जिला पदाधिकारी के द्वारा जब सत्यापन कराया गया, तो सदर अस्पताल, अरवल द्वारा इसे फर्जी बता दिया गया है। उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी को अविलम्ब पद से हटाया जाना चाहिए।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जब आयोग में वाद प्रारंभ हुआ, तो उनके द्वारा छल–कपट से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, संबंधित आँगनबाड़ी सेविका को मिलाकर अपने बच्चों का गलत जन्म प्रमाण–पत्र तैयार करा लिया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके सभी नये जन्म प्रमाण–पत्र वाद प्रारंभ किये जाने के बाद निर्गत कराये गये है।

4. प्रतिवादी का पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखते हुये, आयोग को बताया गया कि आयोग **रजनी कुमारी वाद** के आलोक में Premilary Issue decide किये बिना आज सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक Binding Law है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि **कौशमी कुमारी वाद** में भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त Binding Law को आयोग हेतु बाध्यकारी बताया गया। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला प्रशासन के कुछ प्रतिवेदन उनके पक्ष में है, जबकि कुछ प्रतिवेदन उनके पक्ष में नहीं है। ऐसे में Disputed Facts of Matter है, जिसके आधार पर आयोग निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–1965/जि0पं0, दिनांक–25.11.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसका सारांश निम्नवत् हैः–

"श्रीमती लक्ष्मी देवी, वार्ड पार्षद, पति–श्री अनुप कुमार के कुल– 04(चार) निम्नलिखित संतानों में से एक से अधिक संतानों का जन्म दिनांक–04.04.2008 के बाद हुआ है। इसकी पुनः जाँच/समीक्ष करने का निदेश प्राप्त हुआ है। प्राप्त निदेश के आलोक में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–1214, दिनांक–10.03.2024 के द्वारा निर्गत निर्देशिका S.O.P. की धारा–18 (1)(ड़) दिनांक–04.04.2008 के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी देवी के जीवित दो संतानों से अधिक के संबंध में वादी रामजी प्रसाद एवं प्रतिवादी लक्ष्मी देवी के द्वारा दिया गया, जन्म प्रमाण–पत्र के संबंध में सभी दस्तावेजों का सत्यापन के क्रम में मुख्य रूप से वादी द्वारा विद्यालय के नामांकन के आधार पर जन्मतिथि दी गई है, जो इस प्रकार हैः– (1) अर्चना कुमारी(पुत्री), जन्मतिथि–15.03.2007, (2) रवि रंजन कुमार(पुत्र), जन्मतिथि–15.02.2012 (3) कल्पना कुमारी(पुत्री), जन्मतिथि–10.01.2008 (4) प्रियरंजन कुमार(पुत्र), जन्मतिथि–04.03.2014

इसके अलावा वादी के द्वारा राशन कार्ड में नाम के आधार पर जन्म प्रमाण–पत्र दिया गया है, जो इस प्रकार हैः– (1) अर्चना कुमारी(पुत्री), उम्र–13 वर्ष, (2) कल्पना कुमारी(पुत्री),

उम्र–12 वर्ष, (3) रवि रंजन कुमार(पुत्र), उम्र–08 वर्ष, (4) प्रियरंजन कुमार का नाम राशन कार्ड में अंकित नहीं है।

गौरतलब है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी का जन्म उनके आधार कार्ड के आधार पर वर्तमान में 34 वर्ष हो रहा है, (जन्मतिथि–01.01.1990) और उनके द्वारा जाँच के क्रम में उनके चारों बच्चे वर्ष–2008 के पूर्व के है, अर्थात् मात्र 18 वर्ष की आयु में चार बच्चे का होना एवं प्रथम पुत्री का 12 वर्ष में होना विश्वसनीय नहीं है। श्रीमती लक्ष्मी देवी ने इन बच्चों के संबंध में जन्म प्रमाण–पत्र जो दाखिल किये है, उसकी जाँच सक्षम प्राधिकार से कराये जाने पर गलत पाया गया है। (जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–2818/जि0पं0, दिनांक–23.12.202।

यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उनके पत्रांक–127, दिनांक–11.11.2024 के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी से अद्यतन जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी के पत्रांक–494, दिनांक–19.11.2024 के द्वारा जाँचोंपरांत प्रतिवेदित प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि इनके कार्यालय के निर्गत पत्रांक–267, दिनांक–02.07.2024 का गहन जाँच मूल टीकाकरण पंजी से किया गया, तो पाया गया कि टीकाकरण पंजी में 03 बच्चों का नाम अंकित है, तीनों का जन्मतिथि भी उसमें अंकित है, परन्तु टीकाकरण पंजी का पेजींग नहीं होना, क्रमांक के अनुसार नाम के नहीं लिखना, वाईटनर(Whitener) का प्रयोग करना, अलग–अलग रंग के पन्ने एवं इंक का गहना होना से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लक्ष्मी देवी द्वारा छल–कपट से जन्मतिथि अंकित करने के उद्देश्य से यह कार्य करवाया गया है। संबंधित सेविका द्वारा जाँच के क्रम में बताया गया कि श्रीमती लक्ष्मी देवी टीकाकरण कार्ड लेकर आई और उनसे दबाव से इन तीन बच्चें (1.रवि रंजन कुमार, जन्मतिथि–10.04.2006, 2. प्रियरंजन कुमार, जन्मतिथि–05.01.2008, 3. कल्पना कुमारी, जन्मतिथि–21.02.2004) का नाम अंकित करवाया गया। सेविका यह भी बताई कि चूँकि इन्होंने बच्चे का जन्म अपने सामने नहीं देखी है केवल लक्ष्मी देवी के द्वारा दबाव देने के कारण अंकित किया गया है। सेविका के द्वारा स्पष्ट कहना है कि उपरोक्त तीनों बच्चों के जन्मतिथि को प्रमाणिक नहीं माना जाय। गुड्डी कुमारी के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि इनका नाम टीकाकरण पंजी में नहीं है। इस संबंध में सेविका द्वारा बताया गया कि लक्ष्मी देवी के द्वारा दबाव देने पर इनका नाम प्रेषित पत्र में अंकित कर दिया गया है। इसे भी जन्मतिथि का प्रमाणिक नहीं माना जाय।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अमान्य है एवं उनके द्वारा गलत प्रमाण–पत्र बनवाया गया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही टीकाकरण पंजी में जन्मतिथि एवं विद्यालय नामांकन पंजी से मेल नहीं खाता है। विद्यालय का नामांकन पंजी को पूर्व में ही सत्यापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घोषी के पत्रांक–532, दिनांक–04.07.2024 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार जन्म प्रमाण–पत्र का केवल दो दस्तावेज प्रमाणित पाये गये है। पहला विद्यालय का नामांकन पंजी दूसरा राशन कार्ड यही दो दस्तावेज वादी रामजी प्रसाद ने दिये है। श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र प्रमाणित नहीं हुए, बल्कि गलत तरीके से बनाया हुआ पाया गया।

उपरोक्त सभी उल्लेखित जाँच प्रतिवेदन से यह अंतिम रूप से निष्कर्ष के कुछ स्पष्ट बिन्दु हैं, जो निम्नवत् हैं:–

I. श्रीमती लक्ष्मी देवी के दो बच्चे 1. रविरंजन कुमार का जन्मतिथि–15.02.2012 2. प्रियरंजन कुमार का जन्मतिथि–04.03.2014 है। साक्ष्य में विद्यालय का नामांकन पंजी एवं राशन कार्ड (आधार युक्त)

II. श्रीमती लक्ष्मी देवी अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दे पाई, बल्कि उनके द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र गलत दिया गया है।

III. श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा निर्वाचन नाम निर्देश में दिये गये प्रपत्र–''ग'' में कंडिका–09 में दी गई सूचना आयोग द्वारा निर्गत नामांकन एवं योग्यता तथा अन्य नियमावली का उल्लंघन है।''

उपस्थित प्राधिकृत पदाधिकारी सुश्री होमा इरफान, वरीय उप समाहर्त्ता, जहानाबाद द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमती लक्ष्मी देवी के कुल 04 संतान है, जिसमें से दो संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत का है। उनके द्वारा आयोग का ध्यानाकृष्ट करते हुए, बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में दो–दो बार फर्जी जन्म प्रमाण–पत्र का सहारा लिया गया है। प्रथम बार उनके द्वारा जो जन्म प्रमाण प्रस्तुत किया गया था। वह बिल्कुल ही फर्जी था, क्योंकि सत्यापन में यह ज्ञात हुआ कि सदर अस्पताल, अरवल से कभी निर्गत ही नहीं हुआ। दूसरी दफा उनके द्वारा गलत शपथ–पत्र के आधार पर जहानाबाद नगर परिषद् तथा नगर पंचायत घोषी से चारों संतानों का जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत कराया गया, परन्तु जाँच के उपरांत संबंधित पंजीयकों द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है, जिसकी सूचना जिला के पत्रांक–2818/जि0प0, दिनांक–23.12.2023 से ही प्रेषित है। आँगनबाड़ी केन्द्र पर भी इनके द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग कर अभिलेखों में हेर–फेर कराया गया है।

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी, (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–18, नगर पंचायत घोषी, जिला–जहानाबाद) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–18, नगर पंचायत घोषी, जिला–जहानाबाद के पद पर निर्वाचित हो गई हैं।''

आयोग द्वारा यह पाया गया कि संतानों की संख्या के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी एकमत हैं। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या–04 (दो पुत्र एवं दो पुत्री) घोषित की है। विवाद प्रतिवादी के संतानों के जन्मतिथि अर्थात् Cutt of Date-04.04.2008 के उपरांत जन्म लेने अथवा उसके पूर्व जन्म लेने को लेकर है।

वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य सत्यापन के क्रम में सही पाये गये है। जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराये गये प्राथमिक सत्यापन एवं जाँच प्रतिवेदन तथा बाद में उपलब्ध कराये गये विस्तृत सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवादी के दो संतानों क्रमशः रविरंजन कुमार की जन्मतिथि–15.02.2012 तथा प्रियरंजन की जन्मतिथि–04.03.2014 पाई गई है, जिसका साक्ष्य विद्यालय का नामांकन पंजी एवं आधार कार्ड 'सिडिंग' युक्त राशन कार्ड है।

आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि परिवाद दायर होने के उपरांत प्रतिवादी द्वारा छल–कपट एवं फर्जीवाड़ा का सहारा लेते हुए, अपना बचाव किया जा रहा है। उनके द्वारा पहले फर्जी जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये, बाद में मिथ्या शपथ–पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत कराया गया, जिसे सत्यापन के उपरांत रद्द कर दिया गया। आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने पद का गलत उपयोग करते हुये, सेविका पर दवाब बनाकर आँगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध अभिलेखों में छेड़–छाड़ किया गया है, जो कि अत्यन्त गंभीर मामला है तथा साक्ष्यों से छेड़–छाड़ हेतु एक दण्डनीय प्रयास है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद के सुनवाई के अंतिम तिथि को Priliminary Issue decide नहीं रहने का हवाला देकर यह तर्क दिया गया है कि आयोग के लिये, यह Binding है कि वह Priliminary Issue decide करने के बाद ही वाद प्रारंभ कर सकता है। इस संबंध में आयोग का विचार यह है कि रजनी कुमारी वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय के पूर्णपीठ द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 के तहत अयोग्यता संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु पूर्ण अधिकारिता प्रदान किया गया है। इस प्रावधान के तहत आयोग में दो प्रकार से मामले प्रारंभ किये जाते है। प्रथम प्रकार में ऐसे मामले आते हैं, जो आयोग को परिवाद के रूप में प्राप्त होते हैं तथा दूसरे प्रकार में ऐसे मामले आते है, जिसमें वाद–पत्र के माध्यम से विधिवत् आयोग के समक्ष वाद दायर किये जाते हैं। परिवाद के रूप में प्राप्त मामलों के सत्यापन हेतु संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को मामले प्रेषित किये जाते है, जहाँ वे नैसर्गिक–न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, दोनों पक्षों को अपना–अपना दावा/अभिलेख/साक्ष्य/अभिकथन प्रस्तुत करने का अनुरोध करते है। सम्यक जाँचोपरांत उनके द्वारा आयोग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। यदि परिवादी के आरोप सही पाये जाते है, तो बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007

की धारा–18(2) के तहत वाद प्रारंभ किये जाते है। इसके उपरांत पुनः नैसर्गिक–न्याय के नियमों का पालन करते हुये, दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया जाता है।

दूसरे प्रकार, अर्थात् वाद–पत्र से उद्भूत वाद में आयोग स्तर पर प्राथमिक जाँच के उपरांत नोटिस निर्गत किया जाता है तथा सुनवाई के प्रथम तिथि को जिला से प्राप्त प्राथमिक प्रतिवेदन तथा वादी के साक्ष्यों के आधार पर वाद को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् प्रथम प्रकार के मामले में Preliminary जाँच के उपरांत ही वाद प्रारंभ किये जाते है। चूँकि यह मामला प्रथम प्रकार के मामले से आच्छादित है। अतः प्राथमिक जाँच में प्रतिवादी की सहभागिता एवं उपस्थिति रही है। साथ ही साथ उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप भी साक्ष्य सहित प्रमाणित पाये गये, तभी आयोग द्वारा वाद प्रारंभ किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी को दो–दो अवसरों एवं स्तरों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अतः प्रतिवादी का यह दावा स्वीकार नहीं है कि मामले का Priliminary Issue decide नहीं है।

प्रतिवादी का यह दावा भी स्वीकार नहीं है कि मामले में Disputed Question of Facts शामिल है, क्योंकि उनके संतानों की संख्या में कोई Dispute नहीं है। परिवादी द्वारा दिये गये, साक्ष्य जिला अभिलेखों में मौजूद है तथा सत्यापन में इन्हें सही पाया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादी के द्वारा बचाव में दिये गये सभी अभिलेख फर्जी पाये गये।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–18 नगर पंचायत घोषी, जहानाबाद के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहें। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती लक्ष्मी देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–18 नगर पंचायत घोषी, जहानाबाद के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–18 नगर पंचायत घोषी, जहानाबाद का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी जहानाबाद द्वारा श्रीमती लक्ष्मी देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना वांछनीय

है। साक्ष्यों से छेड़–छाड़ करने हेतु इनके विरूद्ध अलग से विधिक कार्रवाई भी जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के स्तर से वांछनीय है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
07.11.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
07.11.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–50/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–50/2023 4276 पटना, दिनांक– 7/11/2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **जहानाबाद**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **जहानाबाद** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **जहानाबाद** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

07/11/25
विशेष कार्य पदाधिकारी